भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1978

जिसका उत्तर दिनांक 27 अगस्त, 2013 को दिया जाना है।

सांसदों के पत्रों की अभिस्वीकृति और उत्तर

1978. श्री जय प्रकाश नारायण सिंह:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा मै. इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (आईएल, के) से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर पिछले एक वर्ष के दौरान सांसदों के पत्रों को प्राप्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी संख्या में पत्र प्राप्त और अभिस्वीकृत किए गए तथा आज तक सांसदों द्वारा भेजे गए कितने पत्रों पर अंतिम उत्तर दिए गए हैं;

(ग) क्या कार्मिक और प्रशक्षिण विभाग (डीओपीटी) के अनुदेशों के अनुसार, सांसदों से प्राप्त सभी पत्रों की अभिस्वीकृति और उत्तर एक न्यायसंगत समयावधि में दिए जाने चाहिएं; और

(घ) यदि हां, तो डीओपीटी के अनुदेशों का पालन न करने के क्या कारण हैं तथा सांसदों से प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रफुल पटेल)

(क): जी, हां।

(ख): ऐसे 09 पत्र प्राप्त हुए हैं और उनको अभिस्वीकृत किया गया है। इनमें से (एक ही सांसद से प्राप्त एकसमान अनुरोधों के संबंध में समेकित उत्तर सहित) 08 पत्रों का अन्तिम उत्तर दे दिया गया है।

(ग)और(घ): जी, हां। जहां केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित उद्यमों आदि से अतिरिक्त ब्यौरा और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है वहां संबंधित ब्यौरा प्राप्त करने का हर संभव प्रयास किया जाता है और यथासंभव अंतिम उत्तर भेजा जाता है।

*****